

विधान (नियमावली)


1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम ALUMNI ASSOCIATION,
ENGINEERING COLLEGE, AJMER समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय अजमेर (AJMER) है
तथा कार्यक्षेत्र:- संपूर्ण राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. विज्ञान, तकनीकी, पेशेवर, प्रबंधन, कलात्मक ज्ञान के समन्वय तथा आदान-प्रदान के लिए सुगम माध्यम (मंच) उपलब्ध करवाना।
2. सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति में सहयोग करना।
3. संघीत निधि का छात्राहित तथा सदस्यों के लिए अध्ययन, कौशल (SKILLS) के साथ परिपूरक सुविधाएं व अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4. बिना लाभ-हानि के संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करना।
5. छात्रों के विकास तथा नवीन तकनीकी के साथ, सामाजिक प्रबंधन
6. योग्य व जम्बरतम छात्रों को अकादमिक, छात्रवृत्तियां, अनुदान, स्वीकृत कर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।


अध्यक्ष

(President)


संजीव

(Secretary)



कोषाध्यक्ष

(Treasurer)

7. भूतपूर्व विद्यार्थियों तथा वर्तमान अध्यापक विद्यार्थियों को
8. उनके अनुभव तथा ज्ञान के माध्यम से परिचित करना व
9. उनकी आवश्यकताओं पर अवसरवादी कार्यक्रम आयोजित करना
10. सोमिनार तथा विभिन्न वर्कशॉप का आयोजन
11. उच्च माध्यमिक शिक्षा (Higher Edu.) तथा नियोजन (Employment)
12. के लिए प्रयासरत रहना व नियोजन के अवसर उपलब्ध कराना
13. संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के साथ-साथ समाज के
14. जरूरतमंद वर्ग के लोगों को सहायता उपलब्ध करना
15. सामिति के सदस्यों तथा के लिए बेहतर आवासीय
16. शिक्षा, अनुसंधान (Research), चिकित्सा के लिए मित्रों
17. का का बेहतर प्रबंधन
18. सामाजिक-सुरक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।


अध्यक्ष


मंत्री


कोषाध्यक्ष

4. सदस्यता :-

निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे :-

- 1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
- 2- बालिग हों।
- 3- पागल, दीवानिये न हों।
- 4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
- 5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण :-

संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

1-संरक्षक

2-निशिष्ठ

~~3-सम्माननीय~~

4-साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :-

उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

1-संरक्षक राशि 1100/- वार्षिक/आजन्म ✓

2-विशिष्ठ राशि 1000/- वार्षिक/आजन्म ✓

~~3-सम्माननीय राशि - - - - - वार्षिक~~

दात / 4-साधारण राशि 1000/- वार्षिक


उक्त राशि एक मूश्त अथवा रु. - - - - -
की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन :-

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

- 1-मृत्यु होने पर
- 2-त्याग-पत्र देने पर
- 3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
- 4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।


अध्यक्ष


मन्त्री


काषायक्ष

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु बैठक समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा:-

संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य :-

साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :-

1-प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

2- वार्षिक बजट पारित करना।

3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।

10. साधारण सभा की बैठकें :-

1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी
का गठन :-

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

- (1) अध्यक्ष-एक (2) उपाध्यक्ष-एक **संरक्षक**
(3) मन्त्री-एक (4) कोषाध्यक्ष-एक (5) **संयुक्त सचिव- 1**
6. सदस्य-सात

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें।
कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 6 पदाधिकारी व
7 अन्य सदस्य कुल 513 सदस्य होंगे।


12. कार्यकारिणी का
निर्वाचन :-


- 1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
- 2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
- 3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के
अधिकार और कर्तव्य :-

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-

- 1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
- 2- वार्षिक बजट तैयार करना।
- 3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
- 4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।
- 5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
- 6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
- 7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।


अध्यक्ष


मन्त्री


कोषाध्यक्ष

14. कार्यकारिणी की बैठकें :-

- 1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
- 2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
- 3- बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
- 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :-

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

1-अध्यक्ष :

- 1- बैठकों की अध्यक्षता करना।
- 2- मत बरामद करने पर निर्णायक मत देना।
- 3- बैठकें आहूत करना।
- 4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
- 5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2-उपाध्यक्ष :

- 1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
- 2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3-मंत्री :

- 1- बैठकें आहूत करना।
- 2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6- पत्र व्यवहार करना।

7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4-उपमंत्री :

1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

5-कोषाध्यक्ष :

1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष :-

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-

1- चन्दा

2- शुल्क

3- अनुदान

4- सहायता

5- राजकीय अनुदान

1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।

2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

17. कोष सम्यन्धी
विशेषाधिकार :-

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक पुरत स्वीकृत कर सकेंगे :-

1-अध्यक्ष 50,000/- रु.

2-मन्त्री 25,000/- रु.

3-कोषाध्यक्ष 10,000/- रु.

उपरोक्त राशि का अनुपादन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण :-

संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाएँ को प्रस्तुत करने होंगे।

19. संस्था के विधान
में परिवर्तन :-

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का
विघटन :-

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाएँ को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. संस्था के लेखे जोखे
का निरीक्षण :-

रजिस्ट्रार संस्थाएँ को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता कि उक्त विधान (नियमावली)
ENGINEERING COLLEGE, AJMER

ALUMNI ASSOCIATION,

समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

20

अध्यक्ष

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

संघ विधान पत्र - संस्था के उद्देश्य

संस्था का नाम: ALUMNI ASSOCIATION ENGINEERING COLLEGE, AJMER

समिति/ सोसाइटी/ संस्थान/ संस्था है व रहेगा।

पंजीकृत कार्यालय तथा कार्य क्षेत्र: अजमेर व कार्यक्षेत्र संघर्ष
राजस्थान रहेगा। (न्यायिक)

इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।

1. विज्ञान, तकनीकी, पेशेवर, प्रबंधन, कलात्मक ज्ञान के समन्वय तथा उनके माध्यम (मंच) उपलब्ध करवाना।
2. सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति में सहयोग करना।
3. संचित माल के छात्रों तथा सदस्यों के अध्ययन, शैक्षणिक के साथ विकास व विवेकपूर्ण उपयोग।
4. बिना लाभ-हानि के संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करना।
5. छात्रों के विकास तथा नवीन तकनीकी के साथ सामाजिक प्रबंधन।
6. योग्य व जरूरतमंद छात्रों को आकादमिक, छात्रवृत्तियां, अनुदान स्वीकृत करना।
7. विभिन्न सेमिनार तथा वर्कशॉप का आयोजन करना।
8. भूतपूर्व विद्यार्थियों तथा वर्तमान अध्ययनरत छात्रों के बीच अनुभव व ज्ञान को साझा करना।
9. उच्च शिक्षा (Higher Edu.) तथा नियोजन (Employment) के अवसर उपलब्ध करवाना।
10. संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के साथ-साथ समाज के जरूरतमंद वर्गों को मदद करना।
11. समिति के सदस्यों के लिए बेहतर आवासीय, शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण के लिए बेहतर प्रबंधन।
12. सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
13. _____
14. _____
15. _____

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।



अध्यक्ष/ President



मंत्री/ Secretary



कोषाध्यक्ष/ Treasurer

